छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

क्र. 3082/ब–4/बजट सम./2026 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 09/03/2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारी
छत्तीसगढ़

विषयः–कोषालयों/उपकोषालयों में वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट से संबंधित देयक स्वीकार करने एवं ई–कुबेर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान के संबंध में।

——00——

राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के देयकों को पारित करने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

(1) वर्ष 2025–26 से संबंधित समस्त देयक कोषालयों/उपकोषालयों में प्राप्त होने की अंतिम तिथि **25 मार्च, 2026** निर्धारित की जाती है।

(2) एसएनए–स्पर्श से संबंधित समस्त भुगतान के लिए देयक स्वीकृति की अंतिम तिथि 30 मार्च, 2026 निर्धारित की जाती है।

(3) अंतिम तिथि के पश्चात देयक ekoshonline.cg.nic.in/eBill एवं ई–पेरोल संबंधी देयक ekoshonline.cg.nic.in/ePayroll Module में दिनांक 27.03.2025 तक नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए, जमा किए जा सकेंगें।

(4) 25 मार्च, 2026 तक कोषालय/उपकोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा।

(5) वित्त विभाग द्वारा **25 मार्च, 2026** के पश्चात यदि कोई सहमति/स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(6) भारत सरकार से प्राप्त राशि (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायत्ता अथवा केवल केन्द्रांश की राशि) से संबंधित देयकों एवं माननीय विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(7) राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय/निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयकों /माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयकों पर भी उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(8) समस्त कोषालय/उपकोषालय अधिकारी उक्त तिथि तक प्राप्त समस्त देयकों का निराकरण **दिनांक 30 मार्च, 2026** तक किया जाना सुनिश्चित करें।

(9) समस्त कोषालय/उपकोषालय अधिकारी **दिनांक 25 मार्च, 2026** को प्राप्त अंतिम देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) का प्रकार, बीटीआर क्रमांक तथा देयक राशि वित्त विभाग को मेल आईडी – financedept.cg@gov.in पर उक्त दिवस के कार्यालयीन समय के तुरंत बाद अवगत करायेगें।

(10) **दिनांक 27 मार्च, 2026 से 30 मार्च, 2026** तक कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा किए गए भुगतान की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार दिनांक 30 मार्च 2026 को अपरान्ह 5.30 बजे तक अनिवार्यतः वित्त विभाग को मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाए।

(11) माननीय मुख्यमंत्रीजी/माननीय मंत्री गण/एवं माननीय विधायकों के स्वेच्छानुदान मद से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(12) कार्य विभागों एवं वन विभाग के संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन पेमेंट फाईल का जनरेशन दिनांक 25 मार्च, 2026 अपरान्ह 5.30 बजे के पश्चात् न किया जाए। अत्यावश्यक प्रकरण में ekoshonline.cg.nic.in/ebillworks में सहमति पश्चात ही ऑनलाईन भुगतान किया जा सकेगा।

(13) **दिनांक 27.03.2026** तक कोषालयों/उपकोषालयों में लगाये जाने वाले देयको को पारित करने एवं शासकीय जमा संबंधी वित्तीय संव्यवहारों के निष्पादन हेतु **दिनांक 28.03.2026** (शनिवार) एवं 31.03.2025 (मंगलवार) को समस्त कोषालयों/उप कोषालयों को खुला रखा जाये। भारतीय रिजर्व बैंक का ई–कुबेर पोर्टल दिनांक 28.03.2026 (शनिवार), 29.03.2025 (रविवार) एवं 31.03.2025 (मंगलवार) को भी खुला रहेगा।

(चंदन कुमार)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

पृ.क. 3083 / ब–4 / बजट सम. / 2026   नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 09 / 03 / 2026

प्रतिलिपि–

1. राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के सचिव, लोकभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानव अधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, छत्तीसगढ़
6. निज सचिव / निज सहायक, माननीय मंत्री / राज्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन
7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. मुख्य सचिव के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्रालय
10. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय
11. विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
12. समस्त विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय
13. समस्त अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय
14. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख, मंत्रालय
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय
16. संचालक, कोष एवं लेखा, इन्द्रावती भवन
17. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर अंबिकापुर एवं दुर्ग।
18. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, मंत्रालय, को वित्त विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।

अवर सचिव
वित्त विभाग

प्रपत्र

कोषालय/उप कोषालय का नाम ....

दिनांक

विभागीय चेक	देयको/प्रकरणों की संख्या	दिवस को जारी चेकों की संख्या	दिवस को जारी चेकों की राशि का योग	पुर्नवैधीकरण किए गए चेक की राशि
कोषालय चेक				
लोक निर्माण विभाग				
जल संसाधन विभाग				
लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग				
वन विभाग				
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (पंचायत विभाग				
संबद्ध उपकोषालयों की समेकित जानकारी				

कोषालय/उपकोषालय अधिकारी